<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>रेफरेन्स/एलआर/4547/2005/करौली</u>

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, हिण्डौन

प्रार्थी

बनाम

1 देवेन्द्र कुमार पुत्र ओम प्रकाश
2 अशोक कुमार पुत्र ओम प्रकाश
3 विजय कुमार पुत्र ओम प्रकाश
4 अजय कुमार पुत्र ओम प्रकाश सभी जाति महाजन निवासी हिण्डौनसिटी
5 श्रीमती पुष्पादेवी पुत्री ओम प्रकाश पत्नी सतीशचंद सिघल निवासी होडल हरियाणा
6 श्रीमती मंगू देवी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी राधेश्याम महाजन निवासी करोली
7 श्रीमती कमलादेवी बेवा ओम प्रकाश (फोत) नाम तर्क।
8 वेदप्रकाश पुत्र कपूरचंद (फोत) जरिये वारिसान
8/1 मु0 प्रेमदेवी बेवा वेदप्रकाश
8/2 युगल किशोर पुत्र वेदप्रकाश
8/3 रामअवतार पुत्र वेदप्रकाश
8/4 अनिल पुत्र वेदप्रकाश
8/5 श्रीमती गायत्री पुत्री वेदप्रकाश पत्नी उमाशंकर
9 मदनमोहन पुत्र कपूरचंद जाति महाजन सभी निवासी हिण्डौनसिटी
10 सुहागवती बेवा कपूरंचद महाजन (फोत नाम तर्क)
11 सुरेन्द्र मोहन पुत्र रामसहाय जाति महाजन निवासी हिण्डौनसिटी

अप्रार्थीगण

12 रामोतार पुत्र मांगल
2 रामस्वरूप पुत्र उंकार मृतक जरिये वारिसान
2/1 छोटी बेवा रामस्वरूप
2/2 रिषी कुमार पुत्र रामस्वरूप
2/3 महेशचन्द पुत्र रामस्वरूप
2/4 शिवकुमार पुत्र रामस्वरूप
2/5 नटवर पुत्र रामस्वरूप
2/6 दिनेश पुत्र रामस्वरूप सभी जाति पटवा निवासी हिण्डौन

बनने पक्षकार

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री सुनील गर्ग उप राजकीय अभिभाषक

श्री पूर्णा शंकर दशोरा वकील एवं
श्री राकेश अरोडा वकील अप्रार्थीगण
श्री मुकेश जैन वकील बनने पक्षकार।

निर्णय

दिनांकः.7.8.2018

यह रेफरेन्स धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली द्वारा प्रकरण संख्या 19/2004 में की गई अनुशंषा दिनांक 4.8.2005 से प्रेषित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार,हिण्डौन ने एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन द्वारा वाद संख्या 344/93 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2003 विधि विरूद्व होने से निरस्त कराई जावे। विवादित आराजी खसरा नम्बर 3046 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 5335 रकबा 0.85 हेक्टर सिवायचक राजकीय भूमि थी जिसे उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन ने निराधार रूप से वाद संख्या 344/93 निर्णय दिनांक 27.11.2003 से वादीगण अप्रार्थीगण की खातेदारी की घोषित कर दी। अतः रेफरेन्स किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अनुशंषा दिनांक 4.8.2005 से यह रेफरेन्स राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि का अप्रार्थीगण में से एक राधेश्याम ने गैर कृषि उपयेाग कर भटटा लगा लिया जिससे धारा 90ए व 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर तहसीलदार, हिण्डौन के निर्णय दिनांक 28.10.74 से उक्त आराजी सिवायचक दर्ज की गई एवं अप्रार्थीगण को बेदखल किया गया। उक्त निर्णय अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी यथावत रखा गया। जब तक उक्त निर्णय यथावत है तब तक विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। विवादित आराजी न्यायिक प्रक्रियाओं के अन्तर्गत सिवायचक दर्ज की गई है जिस पर अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। उपखण्ड अधिकारी ने विधिक प्रावधानों को देखे बिना वाद संख्या 344/93 में निर्णय दिनांक 27. 11.2003 पारित किया है जो निरस्त किया जावे एवं यह रेफरेन्स स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन द्वारा वाद संख्या 344/93 में निर्णय दिनांक 27.11.2003 विधिवत कार्यवाही कर प्रतिवादी वर्तमान प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर तनकियात कायम कर साक्ष्यों का विवेचन करते हुए पारित किया है जिसे रेफरेन्स के माध्यम से

निरस्त नहीं किया जा सकता। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा अपील नहीं कर यह रेफरेन्स किया है जो अनुचित है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा न्यायिक प्रक्रियाओं की पालना की गई है एवं उनका निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं है तथा लोक निति अथवा विधि विरूद्ध नहीं है। जिससे ऐसे निर्णय व डिक्री को रेफरेन्स के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता। धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है जिसके तहत खातेदारी की भूमि को सिवायचक घोषित नहीं किया जा सकता। विवादित भूमि प्रारम्भ से ही अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि रहीं है। अतः यह रेफरेन्स खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

इस प्रकरण में रामोतार व रामस्वरूप के वारिसान ने आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी के संबंध में सक्षम न्यायालय में उनका वाद विचाराधीन है। जिसमें तहसीलदार हिण्डौन पक्षकार है। जिससे वे इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने इसका विरोध किया एवं प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के अवलोकन एवं पत्रावली के अवलोकन किया। वर्तमान प्रकरण रेफरेंस का है जिसमें उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन द्वारा वाद संख्या 344/93 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.03 के संबंध में विचार किया जाना है। इस रेफरेन्स प्रकरण में किसी पक्षकार के हक हकूक घोषित नहीं किये जाने हैं। रामोतार वगैरा बनने पक्षकार की ओर से किसी दावे की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई है एवं यदि दावा विचाराधीन हो तो मात्र उस आधार पर इस रेफरेन्स प्रकरण में उन्हें पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन द्वारा वाद संख्या 344/93 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2003 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण वर्तमान अप्रार्थीगण ने यह वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है तथा आराजी खसरा नम्बर 3046 को स्वंय के खातेदारी की होना एवं धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विवादित आराजी को अकृषि उपयोग में लिये जाने पर बेदखल किये जाने व सिवायचक दर्ज किये जाने को चुनौति देते हुए खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी राज्य सरकार ने इसका जबाब प्रस्तुत कर खण्डन किया है। दावे व जबाबदावे के आधार पर दो तनकियात कायम की गई है तथा उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन द्वारा तथ्यों एवं साक्ष्यों का विवेचन करते हुए दोनों पक्षो को सुनकर दिनांक 27.11.2003 को वादीगण का

वाद स्वीकार कर डिक्री किया है। उक्त वाद संख्या 344/93 की पत्रावली रेफरेन्स के सलंग्न कर नहीं भेजी गई है।

यह स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत खातेदारी अधिकारो की घोषणा के वाद में दोनों पक्षो को सुनकर निर्णय पारित किया है तथा सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों का विवेचन कर प्रक्रिया का स्थूल रूप से अनुसरण कर निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन का निर्णय दिनांक 27.11.2003 क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं है। ऐसे निर्णय के विरूद्व राज्य पक्ष यदि असंतुष्ट था तो उसे अपील के माध्यम से चुनौति देनी चाहिये थी। परन्तु राज्य पक्ष द्वारा ऐसा नहीं किया गया है एवं अपील की अवधि निकलने के पश्चात यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है। रेफरेन्स अपील का विकल्प नहीं हो सकता। उपखण्ड अधिकारी का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2003 क्षेत्राधिकार के बाहर नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां अपील का प्रावधान हो एवं निर्णय क्षेत्राधिकार के अन्दर पारित किया गया हो ऐसी डिक्री को रेफरेन्स के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः हम इस रेफरेन्स में कोई सार नहीं पाते हैं एवं खारिज करना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह रेफरेन्स खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य